Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में पटवारी 28 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज बांसवाड़ा में कार्यवाही करते हुये परमेश्वर सोलंकी पटवारी हल्का नागावाड़ा अतिरिक्त चार्ज नाल तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से **28 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का कृषि भूमि से आबादी में रूपान्तरण करने की एवज में परमेश्वर सोलंकी पटवारी हल्का नागावाड़ा अतिरिक्त चार्ज नाल तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा द्वारा 40 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** एवं **पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार** के सुपरवीजन में एसीबी चित्तौड़गढ़ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज एसीबी उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्त्व में **पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत** मय टीम के बासंवाड़ा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये परमेश्वर सोलंकी पुत्र श्री वालसिंह सोलंकी निवासी गांव छीछ, तहसील बागीदौरा, जिला बासंवाड़ा हाल पटवारी हल्का नागावाड़ा अतिरिक्त चार्ज नाल तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से **28 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।